न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

(पीठासीन अधिकारीः– सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्याः– 113/22 (18 आयुध अधिनियम 1959) (RCMS No.2022/117)

नेकराम पुत्र श्री बदनसिंह जाति कुशवाह निवासी बलदेव का पुरा (रतनपुर) थाना बसेडी जिला धौलपुर।

.........अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर।

..........रैस्पोडैन्ट

अपील विरूद्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण आदेश जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर दिनांक 27.08.2018 बाबत शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 10/82

उपस्थितिः–श्री ललता प्रसाद वकील अपीलान्ट।

निर्णय

दिनांकः 08.08.2023

उक्त अपील आयुध अधिनियम 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के निर्णय दिनांक 27.08.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक अपीलान्ट श्री नेकराम द्वारा अपने अनुज्ञापत्र संख्या 10/82 जो कि दिनांक 31.12.2016 तक नवीनीकृत था को आगामी अवधि के लिये नवीनीकरण किये जाने हेतु दिनांक 26.12.2016 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। तहत कार्यालय ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पत्र क्रमांक 9892 दिनांक 28.12.2016 के द्वारा रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें अंकित किया गया कि अपीलान्ट आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकृत किए जाने के संबंध में सहमति/असहमति मांगी गई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक धौलपुर से पत्र क्रमांक 580 दिनांक 25.01.2017 से प्राप्त रिपोर्ट जिसमें अपीलान्ट आवेदक के विरूद्ध थाना हाजा पर मुकदमा नंबर 147/15 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी में दर्ज हुआ है जिसमें चार्जशीट नम्बर 54/15 दिनांक 23.05.2015 में किता कर चालान दिनांक 29.6.2015 को न्यायालय बाडी में पेश किए जाने का उल्लेख करते हुए आवेदक के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज होने के कारण अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकरण नहीं किये जाने की अनुशंषा की गई। इसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2018 से अपीलान्ट का अनुज्ञापत्र निरस्त किया गया है। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.08.2018 विधिविरूद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र दिनांक 31.12.2016 तक नवीकृत था। इसको आगे नवीनीकृत कराने हेतु अपीलान्ट की ओर से दिनांक 26.12.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा नवीनीकरण की फीस भी अदा कर दी थी, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 को आधार बनाते हुए अपीलान्ट को जारी अनुज्ञापत्र निरस्त किया है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर की जिस रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 को आधार बनाया है। वह प्रकरण मारपीट से संबंधित था तथा इसमें अपीलान्ट की ओर से शस्त्र का किसी प्रकार का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया था, इसके अलावा अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण ऐसा भी नहीं था जिसकी सजा आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड हो। महज आई.पी.सी की साधारण धाराओं में दर्ज प्रकरण के आधार पर ही अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त किया है, जो कि गलत है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि अपीलान्ट की ओर से अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में समस्त तथ्य सही अंकित किए थे। इसके अलावा यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 147/15 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 325 आईपीसी थाना बसेडी के प्रकरण में सक्षम न्यायालय से राजीनामा के आधार पर संदेह का लाभ देकर दिनांक 06.05.2022 को बरी कर दिया गया है। अतः इस आधार पर निरस्त किए गए अनुज्ञापत्र को बहाल किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट अपने अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराते समय कलक्टर के कार्यालय में गया था उस समय अपीलान्ट को कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा कह दिया गया था कि आपके विरूद्ध जो मुकदमा दर्ज है उसका निस्तारण होने के बाद ही आपके अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जायेगा इस कारण से अपीलान्ट अपने घर बैठ गया था। अपीलान्ट की अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2018 पारित किया गया है, जिसकी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई। अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज मुकदमा का निस्तारण दिनांक 6.5.2022 को हो जाने के बाद अपीलान्ट जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में गया तब भी अपीलाधीन आदेश के बारे में अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं दी गई। जब अपीलान्ट ने लगातार कार्यालय के चक्कर लगाये तो अपीलान्ट को दिनांक 11.10.2022 को अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2018 की नकल दी गई। उक्त नकल प्राप्त होने के बाद अपीलान्ट को शस्त्र अनुज्ञापत्र के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 27.08.2018 की जानकारी हुई। जानकारी होते ही बिना किसी देरी के अदालत हाजा में अन्दर मियाद अपील पेश की गई है जो कि

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

जानकारी होने के दिनांक से अन्दर मियाद है। अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किए जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पृथक से संलग्न किया गया है। अपीलान्ट द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण कराते समय जो शपथ पत्र दिया था वह शपथ पत्र महज शस्त्र अनुज्ञापत्र नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ था जिसको अपीलान्ट द्वारा नहीं भरा गया था। वरन् कोर्ट में मुंशी के द्वारा भरा गया था। जिस पर अपीलान्ट द्वारा गौर नहीं किया गया था इसलिऐ प्रस्तुत शपथ पत्र में अपने विरूद्ध अपराध को दर्ज नहीं करा सका था परन्तु अपीलान्ट के विरूद्ध अपराध ऐसा भी नहीं था जिसकी सजा आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड हो इस प्रकार शपथ पत्र के आधार पर ही शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्तीकरण आदेश दिया जाना अवैध है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.08.2018 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 10/82 को नवीनीकरण किये जाने के आदेश दिए जावें।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई तथा मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.08.2018 के विरूद्ध अदालत हाजा में दिनांक 20.10.2022 को अपील पेश की गई है। उक्त अपील मियाद बाहर पेश होने के कारण मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किए जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किए जाने हेतु मीमो आफ अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 11.10.2022 को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय धौलपुर में जाने पर होने के बाद अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर जानकारी की तिथि से अन्दर मियाद अपील पेश किए जाने का उल्लेख किया है। रैस्पोडेन्ट की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का न तो कोई जवाब पेश किया गया है और न ही कोई काउन्टर शपथ पत्र ही प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक से पूर्व से रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व इसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास का कोई कारण नहीं रह जाता है। वैसे भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर उदार रूख रखना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज किए जाने से बचना चाहिए। अतः इस आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण का प्रश्न है तो अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट की ओर से उसके पक्ष में जारी अनुज्ञापत्र संख्या 10/82 का नवीनीकरण करवाए जाने हेतु अपीलान्ट द्वारा

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक 26.12.2016 को आवेदन किए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पुलिस अधीक्षक धौलपुर को अपीलान्ट के अनुज्ञापत्र को नवीनीकृत किए जाने के संबंध में पत्र क्रमांक 9892 दिनांक 28.12.2016 के द्वारा 5 बिन्दु के बारे में रिपोर्ट चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने पत्र क्रमांक 580 दिनांक 25.01.2017 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट भिजवाई गई कि आवेदक द्वारा शस्त्र का दुरूपयोग नहीं किया गया है, आवेदक के विरूद्ध मुकदमा नंबर 147/15 धारा 147, 148, 149, 323, 341, 325 आई.पी.सी में दर्ज हुआ है। जिसमें चार्जशीट नंबर 54 दिनांक 23.05.2015 को किताकर न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। आवेदक का चाल–चलन संतोषप्रद रहा है। परन्तु शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं करने की अनुशंषा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के संबंध में अपीलान्ट को आयुध अधिनियम की धारा 17 (3) के तहत दिनांक 08.03.2017 को नोटिस जारी किया गया। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि नोटिस प्राप्ति के 7 दिवस में जवाब प्रस्तुत करें। अन्यथा उनके शस्त्र अनुज्ञापत्र को आर्म्स एक्ट की धारा 17 (3) के तहत निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त नोटिस की अपीलान्ट को तामील होने का कोई रिकार्ड जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से पुलिस अधीक्षक धौलपुर को पुनः अपीलान्ट आवेदक के अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के संबंध में पत्र क्रमांक 28.06.2018 के द्वारा रिपोर्ट चाही गई। जिसके प्रतिउत्तर में पुलिस अधीक्षक धौलपुर ने पत्र दिनांक 17.07.2018 के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट भिजवाई गई कि आवेदक द्वारा शस्त्र का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है तथा आवेदक के विरूद्ध थाना हाजा में मुकदमा नंबर 147/15 दर्ज हुआ है जो न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किए जाने की अनुशंषा की गई।

पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त रिपोर्ट के बाद जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2018 को पारित किया गया है। जिसमें पुलिस अधीक्षक धौलपुर से प्राप्त हुई रिपोर्ट दिनांक 25.01.2017 का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट आवेदक के विरूद्ध मुकदमा नंबर 147/15 दर्ज होने व न्यायालय में चालान पेश किए जाने तथा शस्त्र अनुज्ञाधारक द्वारा नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में उक्त दर्ज अभियोग का इन्द्राज नहीं किया जाना अर्थात् आपराधिक तथ्यों को छिपाया जाना शस्त्र अनुज्ञापत्रधारक के आचरण को संदिग्ध बनाने व संदिग्ध आचरण वाला व्यक्ति शस्त्र धारण हेतु पात्र नहीं होने का उल्लेख करते हुए अनुज्ञापत्र धारक के द्वारा शस्त्र के दुरूपयोग होने की संभावना को देखते हुए कानून एवं लोकशान्ति बनाए रखने हेतु आर्म्स एक्ट की धारा 17 (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलान्ट का शस्त्र अनुज्ञापत्र संख्या 10/82 को निरस्त किए जाने का आदेश पारित किया है। उक्त आदेश जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर के समक्ष उपलब्ध रिकार्ड व तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का पर्याप्त व उचित अवसर भी दिया गया है, परन्तु बाबजूद नोटिस के अपीलान्ट द्वारा जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अपना पक्ष नहीं रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर की ओर से अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने, पुलिस अधीक्षक धौलपुर से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने व न्यायिक मस्तिस्क का उपयोग करने के बाद अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि न्यायोचित है तथा इसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैद्यानिकता नजर नहीं आती है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से बहस में दिया गया यह तर्क कि अपीलान्ट को उसके विरूद्ध दर्ज प्रकरण में माननीय न्यायालय ने राजीनामे के आधार पर बरी कर दिया है तो उक्त निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट बसेड़ी जिला धौलपुर द्वारा दिनांक 06.05.2022 को पारित किया गया है, जो कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.08.2018 के पश्चात पारित किया गया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा विद्वान जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.08.2018 में अपीलान्ट की ओर से शपथ पत्र में गलत तथ्य दिए जाने के आधार पर अपीलान्ट का आचरण संदिग्ध माना है। इसके संबंध में अपीलान्ट द्वारा केवल मात्र यह उल्लेख किया गया है कि शपथ पत्र कोर्ट में मुंशी के द्वारा तैयार किया गया था। इसलिए अपीलान्ट के विरूद्ध दर्ज प्रकरण का उल्लेख शपथ पत्र में नहीं किया जा सका। उक्त तर्क इसलिए मानने योग्य नहीं है क्योंकि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र में सही तथ्य अंकित कराने का दायित्व अपीलान्ट का ही था तथा नवीनीकरण संबंधी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र में सही तथ्य अंकित करने चाहिए थे। इसके अलावा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर से दो बार रिपोर्ट प्राप्त की गई। दोनों रिपोर्टों में अपीलान्ट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को नवीनीकृत नहीं किए जाने की अनुशंषा की गई है। ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.08.2018 में हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.08.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 08.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

कार्यालय संभागीय आयुक्त, संभाग, भरतपुर